

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3340/2026

Jagdish Bairwa @ Biju S/o Mohan Bairwa, Aged About 26 Years,
Jityakhedi, Police Station-Mangrop, Presently-Kanvakheda, Police
Station-Kotwali, District-Bhilwara, Rajasthan (At Present Lodged
At Distt. Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajathan, PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2892/2026

Ajay Jat Alias Manu S/o Bakshulal Jat, Aged About 25 Years,
Resident Of Agarpura, Police Station Sadar, District Bhilwara
Rajasthan. (Presently Lodged In District Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2896/2026

Mohammad Imran Neelgar S/o Mohammad Aslam Neelgar, Aged
About 24 Years, Mustafa Nagar Pur, Police Station Pur, District
Bhilwara, Rajasthan (At Present Lodged In District Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3341/2026

Jafar Ahmad Sheikh S/o Shafik Ahmad Sheikh, Aged About 42
Years, R/o Neelgaro Ki Masjid Ke Pass, Bahala Gulmandi, Thana
Bhimganj, District Bhilwara, Rajasthan. (Presently Lodged In
Bhilwara Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Naman Mohnot
Mr. Shive Kumar Bhati
Mr. Sikander Khan
Mr. Bharat Shrimali
For Respondent(s) : Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/03/2026

01. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत के यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सुभाष नगर, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 49/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 308(5), 61(2), 111(2)(B), 111(3) तथा 111(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 67ए आई.टी. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।
03. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ केवल ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के खिलाफ केवल ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण 1. जगदीश उर्फ बीजु पुत्र मोहन, 2. अजय उर्फ मानू पुत्र बक्षुलाल, 3. मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद असलम तथा 4. जफर अहमद पुत्र शफीक अहमद उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये के मुचलके एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

46-49-divyashri/-